(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1525–पीबीआर/16 विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 प्रकरण क्रमांक 02/2015–16/अ–39.

चंदाबाई पति मनोहर लाल जैन
निवासी जेतपुरा
तहसील व जिला धार .....आवेदिका

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र धार
3– तहसीलदार, तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदिका
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा,अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विधायक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र धार को इस आशय का पत्र भेजा गया कि ग्राम जेतपुरा तहसील धार स्थित आदिवासी के पट्टे की भूमि सर्वे क्रमांक 107/4/1 राजस्व रिकार्ड में हेरा–फेरी कर गैर आदिवासी द्वारा अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा कर भूमि अपने नाम करा ली गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जॉच कर प्रकरण संहिता की धारा 181 एवं 182 के अन्तर्गत निराकरण हेतु कलेक्टर, जिला धार को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण अपर कलेक्टर, धार को निराकरण हेतु भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2015–16/अ–39 दर्ज कर अनावेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया

गया । अपर कलेक्टर द्वारा जारी इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण नहीं होने के बावजूद कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदिका द्वारा व्यपवर्तित कर विक्रय की जा रही हैं, आवेदिका को बेदखली का सूचना पत्र जारी करने में अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में की जानी चाहिए, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जा रही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित भूमि होकर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है एवं उसके द्वारा भूमि विधिवत रूप से विक्रय की गई है, और केता सद्भाविक केता है । उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में प्रकरण कमांक निगरानी 3190–पीबीआर/15 आदेश दिनांक 3–12–2015, 2007 आर.एन. 71, 2000 आर.एन. 161, 1996 आर.एन. 80, 1996 आर.एन. 286, 1998 भाग 1 एम.पी.वीकली नोट शार्ट नोट 26 एवं 2010 आर.एन. 409 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है, क्योंकि गैर आदिवासी द्वारा अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा भूमि अपने नाम करा ली गई है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अभी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर आवेदिका को उपलब्ध है । जहां तक अपर कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है, संहिता की धारा 182 के अन्तर्गत कलेक्टर/अपर कलेक्टर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार यह निगरानी प्रीमेच्योर एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर